



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आषाढ़ 1942 (श०)
(सं० पटना 422) पटना, सोमवार, 6 जुलाई 2020

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

3 जुलाई 2020

सं० 6/नि०प्रति०नियु०-01-01/2020-1231/वा०कर—बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 63वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार वित्त सेवा के लिए अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन पे-मैट्रिक्स लेवल-9 (रू०-53100-1,67,800) में (राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ) औपबंधिक रूप से परीक्ष्यमान राज्य-कर सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त करते हुए उनके नाम के समक्ष कॉलम-6 में अंकित अंचल में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्त किया जाता है :-

क्र० सं०	उम्मीदवार का नाम	संयुक्त मेधा क्रमांक	आरक्षण कोटि	गृह जिला	प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्त कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति (वांछित कागजात)
1	2	3	4	5	6	7
1	अमित कुमार	78	सामान्य	लखीसराय	पटना मध्य अंचल, पटना	1. मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र 2. इन्टरमीडिएट का प्रमाण-पत्र 3. वर्तमान नियोक्ता का मूल अनापत्ति प्रमाण-पत्र
2	पंकज कुमार	79	सामान्य	धनबाद (झारखण्ड)	गया अंचल, गया	1. प्रारम्भिक परीक्षा का प्रवेश पत्र 2. आवासीय प्रमाण-पत्र
3	ऋचांशा ऋजु	226	पिछड़ा वर्ग	पटना	दानापुर अंचल, दानापुर	—
4	दीपक कुमार	280	अनुसूचित जाति	पूर्णिया	हाजीपुर अंचल, हाजीपुर	—

2. यह नियुक्ति उपर्युक्त सभी अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित शपथ-पत्र एवं सत्यापन पत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्टया सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में औपबंधिक रूप से छः माह के लिये की जा रही है। सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना

के समाप्त कर दी जायेगी। छः माह के अन्दर चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इन औपबधिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थियों की सेवा अगले छः माह के लिये राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर तब तक विस्तारित होता रहेगा, जबतक कि अनुकूल प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो जाता है।

3. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शपथ-पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों को सही मानकर इस शर्त पर की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अभिलेखों के सम्बंध में गलत सूचना पायी जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

4. जिन अभ्यर्थियों ने जाँच के क्रम में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्तम्भ-7 में यथा उल्लिखित वांछित प्रमाण-पत्र समर्पित नहीं किया है, वे योगदान के साथ वांछित प्रमाण-पत्र राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अंचल प्रभारी)/प्रभारी पदाधिकारी के समक्ष समर्पित करेंगे अन्यथा उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

5. सभी नियुक्त अभ्यर्थी की परीक्ष्यमान अवधि दो वर्ष की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।

6. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1964 दिनांक 21.08.2005 एवं 768 पे०को० दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

7. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 1919 दिनांक 18.01.1976 के अनुपालन में अभ्यर्थियों द्वारा दहेज नहीं लेने/देने सम्बंधी घोषणा-पत्र योगदान देने के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा।

8. प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त निर्गत नियुक्ति पत्र मूल रूप में प्रस्तुत किये जाने पर ही उनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

9. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10. योगदान के समय परीक्ष्यमान पदाधिकारी असेैनिक शल्य चिकित्सक-सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र मूल में समर्पित करेंगे।

11. निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने अथवा योगदान अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द करने पर नियमानुसार विचार किया जा सकता है।

12. वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व से किसी नियोक्ता के अन्तर्गत सेवारत हैं, योगदान के समय विरमन पत्र (मूल प्रति) प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा अन्य सेवा से त्यागपत्र देने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा त्याग पत्र स्वीकृति से संबंधित पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

13. सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि अधिसूचना निर्गत होने के उपरान्त 20.07.2020 तक वे अपना योगदान अंचल प्रभारी/प्रभारी पदाधिकारी को निश्चित रूप से समर्पित कर देंगे। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने अथवा योगदान अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द करने पर नियमानुसार विचार किया जा सकता है।

14. प्रशिक्षण अवधि में परीक्ष्यमान राज्य-कर सहायक आयुक्त का मुख्यालय, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना होगा एवं उनका वेतन भुगतान मुख्यालय स्तर से होगा।

15. नवनियुक्त परीक्ष्यमान राज्य-कर सहायक आयुक्त के योगदान प्रतिवेदन को स्वीकृत करने हेतु अंचल प्रभारी को प्राधिकृत किया जाता है।

16. नवनियुक्त परीक्ष्यमान राज्य-कर सहायक आयुक्त तत्काल प्रतिनियुक्त कार्यालय से ही अंचल प्रशिक्षण, कोषागार प्रशिक्षण, भविष्य निधि प्रशिक्षण एवं वैट अंकेक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम अलग से मुख्यालय स्तर से निर्गत किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ प्रतिमा,
राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 422-571+300-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>